

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—अश्विन 26, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अगस्त 2024

क्रमांक एफ 4-5/2018/एक-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा-4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री टी. पी. शर्मा, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ का निर्धारित कार्यकाल दिनांक 26-08-2024 को पूरा होने तथा नये प्रमुख लोकायुक्त द्वारा दिनांक 27-08-2024 को कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रमुख लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री टी. पी. शर्मा को दिनांक 27-08-2024 से कार्यमुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-4/2021/30/सं.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2021/30/सं., दिनांक 29 जुलाई 2021 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम, 2021” में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के कंडिका 6, चयन समिति निम्नानुसार होंगे :—

क्र.	विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य	संख्या
1	संचालनालय के आयुक्त / संचालक	01— अध्यक्ष
2	संचालनालय के संयुक्त संचालक / उप संचालक, संस्कृति	02— सदस्य
3	सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष / सदस्य (कला अकादमी / आदिवासी एवं लोक कला अकादमी)	02 अध्यक्ष / सदस्य
4	कुलपति, इंदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ़ अथवा मनोनित सदस्य	01— अशासकीय सदस्य
5	प्राचार्य, कमलादेवी संगीत महाविद्यालय अथवा मनोनित सदस्य	01— अशासकीय सदस्य
6	प्राचार्य, श्रीराम संगीत महाविद्यालय अथवा मनोनित सदस्य	01— अशासकीय सदस्य
7	दूरदर्शन केन्द्र निदेशक / कार्यक्रम अधिकारी / मनोनित सदस्य	01— अशासकीय सदस्य
8	आकाशवाणी केन्द्र निदेशक / कार्यक्रम अधिकारी / मनोनित सदस्य	01— अशासकीय सदस्य
9	प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञ / कला पथक दल (विधा अनुसार)	03— अशासकीय सदस्य

2. उक्त अधिसूचना के कंडिका-7, ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी— (1) दल प्रमुख के ग्रेड अनुसार मानदेय तथा सहायक कलाकारों का सामान्य मानदेय की दरें निम्नानुसार होंगी :—

ग्रेड	दल प्रमुख का विवरण	दल प्रमुख का मानदेय	सहायक कलाकार का मानदेय
ए+++	पद्मविभूषण/पद्मभूषण कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	71000/-	5000/-
ए++	पद्मश्री अथवा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	51000/-	4000/-
ए+	राष्ट्रीय स्तर के कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन/कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 10 वर्षों। • विगत 5 वर्षों तक केन्द्र शासन/ अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम किया हो।	41000/-	3000/-
ए 1	राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	35000/-	2000/-
ए	राज्य स्तर के कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन/कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 8 वर्ष। • विगत 5 वर्षों तक राज्य शासन/ अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा राज्य स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम किया हो।)	31000/-	2000/-
बी+	जिला स्तर के कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन/कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 6 वर्ष। • विगत 3 वर्षों तक राज्य शासन/ अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जिला स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 2 कार्यक्रम किया हो।)	21000/-	1500/-
बी	स्थानीय/नवोदित कलाकार (कला/संगीत/नृत्य/नाट्य/गायन के क्षेत्र में) • छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन/ चिन्हारी पंजीयन/विगत तीन वर्षों तक व्यक्तिगत अथवा समुह/संस्था के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव।	11000/-	1000/-

3. उक्त अधिसूचना के कंडिका-8, **कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसर**— (1) नियम 7(1) के अंतर्गत निर्धारित ग्रेड अनुसार प्रत्येक दल को वित्तीय वर्ष में प्रस्तुति हेतु अवसर की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

क्रमांक	ग्रेड	वित्तीय वर्ष में अवसरों की अधिकतम सीमा (विभागीय आवश्यकता एवं मांग अनुसार)
1	ए+++	10
2	ए++	20
3	ए 1	
4	ए+	
5	ए	
6	बी+, बी	24

नोट— उपरोक्त ग्रेड निर्धारण हेतु आवश्यकतानुसार कला प्रदर्शन के लिए कलाकार को आमंत्रित किया जा सकता है।

नियम के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2024

प्र. क्रमांक 202301042100041/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 31-03-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है।

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नवापारा (पू.) प.ह.नं. 29	0.400	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2024

प्र. क्रमांक 202301042100042/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 31-03-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घुनपाली (पू.) प.ह.नं. 29	0.064	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2024

प्र. क्रमांक 202301042100043/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 31-03-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	त्रिभौना प.ह.नं. 38	0.252	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202304042100072/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ओडेकेरा प.ह.नं. 33	0.024	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजनांतर्गत कलमी माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202304042100073/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली प.ह.नं. 33	0.100	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजनांतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के कलमी लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202304042100074/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुरंगा प.ह.नं. 33	0.097	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजनांतर्गत तुरंगा माईनर-1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

रा.प्र.क्रमांक/202410021900001/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	घाटबर्वा प.ह.नं. 17	54.322	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (फ्यूल) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (फ्यूल) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के थर्मल पावर स्टेशन के संचालन हेतु परसा ईस्ट एवं केते बासेन खुली खदान परियोजना द्वारा कोयले की पूर्ति.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलास भोसकर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक 775/भू-अर्जन/2021.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-पथरीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.200 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

601/2	0.167
604/4	0.047
605/4	0.057
605/2	0.008
601/1	0.020
604/2	0.035
603	0.091
112/1	0.018
605/1	0.010
612	0.055
188/3	0.048
607	0.050
608	0.041
609	0.027
610/3	0.019

(1)

(2)

610/1	0.037
610/2	0.011
621/1	0.142
620/1	0.083
620/2	0.056
620/4	0.085
111	0.182
113/3	0.053
113/2	0.110
113/5	0.055
118/2	0.034
115/3	0.037
115/1	0.037
115/2	0.055
146	0.048
147/4	0.038
147/6	0.049
153	0.083
154/4	0.013
154/2	0.012
155	0.044
156	0.007
189/3	0.020
184/1	0.037
184/2	0.034
185	0.081
188/2	0.046
189/4	0.018
योग	2.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3123/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील भानपुरी, रा.नि.मं. मुण्डागांव प.ह.नं. 22 रतेगा अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम रतेगा को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम नवा रतेगा के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :-

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम रतेगा की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम रतेगा की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम नवा रतेगा की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	1831	3898.20	686	1396.70	1145	2501.50
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	854	655.10	356	295.91	498	359.59
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	10	0.63	5	0.30	5	0.33
ब	अमराई बाग	1	0.08	1	0.08	0	0
स	छोटे झाड़ के जंगल	32	21.79	16	12.53	16	9.26
द	बड़े झाड़ के जंगल	728	2241.26	170	584.10	558	1657.16
ई	पानी के नीचे	22	199.61	10	70.65	12	128.96
फ	पहाड़ चट्टान	141	764.23	109	427.12	32	337.11
ज	सड़क व रास्ता	43	15.50	19	6.41	24	9.09
	योग	977	3243.10	330	1101.19	647	2141.91

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3125/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील बस्तर, रा.नि.मं. बस्तर, प.ह.नं. 01 बागमोहलई अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम बागमोहलई को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम बड़े बागमोहलई के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :-

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम बागमोहलई की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम बागमोहलई की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम बड़े बागमोहलई की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2073	2021.40	1171	1040.90	902	980.50
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1626	911.12	897	446.95	729	464.17
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	0	0	0	0	0	0
ब	अमराई बाग	0	0	0	0	0	0
स	छोटे झाड़ के जंगल	45	24.61	38	19.66	7	4.95
द	बड़े झाड़ के जंगल	339	1011.05	189	527.92	150	483.13
ई	पानी के नीचे	18	35.51	14	24.77	4	10.74
फ	पहाड़ चट्टान	1	1.07	1	1.07	0	0
ज	सड़क व रास्ता	44	38.04	32	20.53	12	17.51
	योग	447	1110.28	274	593.95	173	516.33

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3127/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील भानपुरी, रा.नि.मं. भानपुरी, प.ह.नं. 07 कुम्हली अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम कुम्हली को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम मुण्डागुड़ा के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम कुम्हली की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम कुम्हली की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम मुण्डागुड़ा की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	1606	1787.88	957	1115.86	649	672.02
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1064	845.91	643	478.19	421	367.72
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	4	1.39	4	1.39	0	0
ब	अमराई बाग	0	0	0	0	0	0
स	छोटे झाड़ के जंगल	408	337.03	220	197.19	188	139.84
द	बड़े झाड़ के जंगल	81	550.34	69	417.30	12	133.04
ई	पानी के नीचे	10	25.42	5	11.45	5	13.97
फ	पहाड़ चट्टान	0	0	0	0	0	0
ज	सड़क व रास्ता	39	27.79	16	10.34	23	17.45
	योग	542	941.97	314	637.67	228	304.30

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3129/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील भानपुरी, रा.नि.मं. भानपुरी, प.ह.नं. 03 तुरपुरा अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम तुरपुरा को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम तुरपुरा नवीन के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम तुरपुरा की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम तुरपुरा की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम तुरपुरा नवीन की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	931	1091.33	475	505.12	456	586.21
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	665	541.21	365	325.22	300	215.99
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	4	0.27	2	0.14	2	0.13
ब	अमराई बाग	2	0.61	1	0.42	1	0.19
स	छोटे झाड़ के जंगल	89	84.37	27	23.11	62	61.26
द	बड़े झाड़ के जंगल	108	379.48	50	101.09	58	278.39
ई	पानी के नीचे	21	63.79	10	43.40	11	20.39
फ	पहाड़ चट्टान	0	0	0	0	0	0
ज	सड़क व रास्ता	42	21.60	20	11.74	22	9.86
	योग	266	550.12	110	179.90	156	370.22

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3131/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील बस्तर, रा.नि.मं. बस्तर, प.ह.नं. 02 ईच्छापुर अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम ईच्छापुर को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम भादुगुड़ा के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम ईच्छापुर की स्थिति		विभाजित करने पर			
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	ग्राम ईच्छापुर की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम भादुगुड़ा की स्थिति	
				कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	1588	1131.39	642	489.97	946	641.42
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1287	704.79	532	300.99	755	403.80
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	0	0	0	0	0	0
ब	अमराई बाग	0	0	0	0	0	0
स	छोटे झाड़ के जंगल	121	113.76	45	27.02	76	86.74
द	बड़े झाड़ के जंगल	125	269.89	41	137.14	84	132.75
ई	पानी के नीचे	14	17.59	10	14.65	4	2.94
फ	पहाड़ चट्टान	0	0	0	0	0	0
ज	सड़क व रास्ता	41	25.36	14	10.17	27	15.19
	योग	301	426.60	110	188.98	191	237.62

(हरिस. एस)
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2024

क्रमांक 11995/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक- 16588/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII), दिनांक 13-12-2023 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 1798/2331/21-ब/2024, दिनांक 30 जुलाई 2024 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय दिनांक 01-08-2024 से नीचे

दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद 2. गुंडरदेही	3 1	1. बालोद 2. दल्लीराजहरा 3. डोण्डीलोहारा	2 1 1
2.	बलौदाबाजार- भाटापारा	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा	5 1	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. कसडोल	2 1 1	1. बलौदाबाजार 2. सिमगा	2 1
3.	बलरामपुर - रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	*2	1. बलरामपुर 2. वाड्रफनगर 3. राजपुर	1 1 1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	8
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	3	1. बेमेतरा 2. साजा	2 1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्डुरोड	13 2	1. बिलासपुर 2. पेण्डुरोड 3. बिल्हा	5 2 1	1. बिलासपुर 2. पेण्डुरोड 3. कोटा 4. मरवाही 5. तखतपुर	10 1 2 1 1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	5	1. दंतेवाड़ा 2. सुकमा 3. बीजापुर	1 2 1	1. दंतेवाड़ा 2. बीजापुर 3. बचेली 4. कौंटा	2 1 1 1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी 2. कुरूद	2 1	1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद	3 1 1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	15	1. दुर्ग 2. पाटन 3. भिलाई-3	5 1 1	1. दुर्ग 2. भिलाई-3 3. धमधा	18 2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती	<u>5</u> 2	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. चांपा 4. अकलतरा	2 2 1 1	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. डभरा 4. पामगढ़ 5. जैजेपुर 6. नवागढ़ 7. मालखरौदा 8. चांपा	<u>4</u> 1 2 1 1 1 1 <u>1</u>
11.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. पत्थलगांव	1 2 1	1. जशपुर 2. कुनकुरी	2 1	1. जशपुर 2. पत्थलगांव 3. बगीचा 4. कुनकुरी	1 1 1 1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा 2. पंडरिया	<u>2</u> 1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव 2. नारायणपुर	2 1	1. नारायणपुर 2. केशकाल	1 1
14.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा	3 3	1. कोरबा 2. कटघोरा	3 2	1. कोरबा 2. कटघोरा 3. पाली 4. करतला	3 2 1 1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. चिरमिरी	1 2 1	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. चिरमिरी	2 2 1	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. जनकपुर	2 1 1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सराईपाली	3 2	1. महासमुंद 2. सराईपाली	3 1	1. महासमुंद 2. पिथौरा 3. बसना 4. बागबाहरा	<u>4</u> 1 1 1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	3	1. मुंगेली 2. लोरमी	1 1
18.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा	<u>9</u> 1 1	1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. सारंगढ़	2 1 2	1. रायगढ़ 2. धरमजयगढ़ 3. खरसिया 4. बिलाईगढ़ 5. भटगांव 6. घरघोड़ा 7. सारंगढ़	<u>6</u> 1 2 1 1 <u>1</u> <u>1</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद	<u>18</u> 1	1. रायपुर 2. गरियाबंद	8 2	1. रायपुर 2. गरियाबंद 3. राजिम 4. तिल्दा 5. देवभोग	<u>22</u> 1 1 1 1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़	3 1 1	1. राजनांदगांव 2. अम्बागढ़-चौकी 3. डोंगरगढ़ 4. खैरागढ़	2 2 1 2	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान	3 1 1 1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	5 1	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	4 1	1. सूरजपुर	4
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	7	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर	5 2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	3 1	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	3 1	1. कांकेर 2. पखांजुर	1 1
योग			133			105	166

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के *2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 11995/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 16588/Checker/III-10-8/2000 (VIII), dated 13-12-2023, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges, Civil Judges, Senior Division and Civil Judges Junior Division as established by the Law Department Notification No. 1798/2331/21-B/2024, dated 30-07-2024 for each Civil District in Chhattisgarh Shall sit with effect from the date 01-08-2024 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of District Judges		Court of Civil Judges Senior Division		Court of Civil Judges Junior Division	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod 2. Gunderdehi	3 1	1. Balod 2. Dallirajhara 3. Daundilohara	2 1 1
2.	Balodabazar-Bhatapara	1. Balodabazar 2. Bhatapara	<u>5</u> 1	1. Balodabazar 2. Bhatapara 3. Kasdol	2 1 1	1. Balodabazar 2. Simga	2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Balrampur-Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	*2	1. Balrampur 2. Wadrafnagar 3. Rajpur	1 1 1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	8
5.	Bemetara	1. Bemetara	2	1. Bemetara	3	1. Bemetara 2. Saja	2 1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad	<u>13</u> <u>2</u>	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Bilha	5 2 1	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Kota 4. Marwahi 5. Takhatpur	10 1 2 1 1
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1. Dantewada	5	1. Dantewada 2. Sukma 3. Bijapur	1 2 1	1. Dantewada 2. Bijapur 3. Bacheli 4. Konta	2 1 1 1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1	1. Dhamtari 2. Nagri 3. Kurud	3 1 1
9.	Durg	1. Durg	<u>15</u>	1. Durg 2. Patan 3. Bhilai-3	5 1 1	1. Durg 2. Bhilai-3 3. Dhamdha	<u>18</u> <u>2</u> 1
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti	<u>5</u> 2	1. Janjgir 2. Sakti 3. Champa 4. Akaltara	2 2 1 1	1. Janjgir 2. Sakti 3. Dabhra 4. Pamgarh 5. Jaijaipur 6. Navagarh 7. Malkharoda 8. Champa	<u>4</u> 1 2 1 1 1 1 <u>1</u>
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri 3. Patthalgaon	1 2 1	1. Jashpur 2. Kunkuri	2 1	1. Jashpur 2. Patthalgaon 3. Bagicha 4. Kunkuri	1 1 1 1
12.	Kabirdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha 2. Pandariya	<u>2</u> 1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1. Kondagaon 2. Narayanpur	2 1	1. Narayanpur 2. Keshkal	1 1
14.	Korba	1. Korba 2. Katghora	3 3	1. Korba 2. Katghora	3 2	1. Korba 2. Katghora 3. Pali 4. Kartala	3 2 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	1 2 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	2 2 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Janakpur	2 1 1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 2	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Pithoura 3. Basna 4. Bagbahara	4 1 1 1
17.	Mungeli	1. Mungeli	2	1. Mungeli	3	1. Mungeli 2. Lormi	1 1
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora	9 1 1	1. Raigarh 2. Gharghora 3. Sarangarh	2 1 2	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Kharsiya 4. Bilaigarh 5. Bhatgaon 6. Gharghora 7. Sarangarh	6 1 2 1 1 1 1
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariaband	18 1	1. Raipur 2. Gariaband	8 2	1. Raipur 2. Gariaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog	22 1 1 1 1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	3 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh- chouki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 2 1 2	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	5 1	1. Surajpur 2. Pratappur	4 1	1. Surajpur	4
22.	Sarguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur 2. Sitapur	5 2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	3 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	3 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
Total			133			105	166

Note :— *2 Courts of Civil Judge, Senior Division— (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

BALRAM PRASAD VERMA
Registrar General.